बरेली पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक 19.10.2025

थाना बिथरी चैनपुर

थाना बिथरी चैनपुर #bareillypolice द्वारा हत्या के 04 अभियुक्तों को आला कत्ल एक नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचयः-

अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिथरी चैनपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.10.2025 को थाना बिथरी चैनपुर बरेली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 487/25 धारा 103(1)/3(5)/191(2)/109 बीएनएस थाना बिथरी चैनपुर बरेली से सम्बन्धित मृतक अभिषेक की हत्या करने वाले अभियुक्तों 1.दीपक बाबू पुत्र ईश्वरी प्रसाद 2.हुकुम सिंह पुत्र लालसिंह 3.रोनक पुत्र शेर सिंह समस्त निवासी गण ग्राम नवदिया देहजब्ती थाना बिथरी चैनपुर बरेली को रंगरेज ढाबा के सामने हाईवे पर से समय करीब 18.00 बजे गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त गोपी पुत्र ईश्वरी प्रसाद को आला कत्ल एक नाजायज चाकू के साथ समय करीब 17.30 बजे पदारथपुर जाने वाले कच्चे रास्ते पर करीब 100 मीटर अंदर की ओर पदारथपुर जाने वाले रास्ते पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाहीः-

दिनांक 15.10.2025 को ग्राम रजऊ परसपुर मे मेला चल रहा था, उसी दौरान समय लगभग रात्रि 10.00 बजे सूचना प्राप्त हुई कि वही हाईवे पर एक व्यक्ति के ऊपर चाकू से वार किया गया है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची तथा मजरूब के बारे मे पता किया गया तो उसका नाम अभिषेक कुमार पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम रजऊ परसपुर थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली है, तब तक मजरूब के परिजन भी मौके पर आ गये जिसे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। जहाँ पर डाक्टरों ने मजरूब को मृत घोषित कर दिया। इस पर मृतक के पिता रामकिशन द्वारा थाना पर मु0अ0सं0 487/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस बनाम 1.सतीश पुत्र हीरालाल उम्र करीब 45 वर्ष, 2.बुध्दपाल पुत्र नरेश उम्र करीब 25 वर्ष, 3.सुंदरलाल पुत्र शंकर उम्र करीब 18 वर्ष निवासीगण ग्राम रजऊ परसपुर थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली पंजीकृत कराया। अभियुक्तों को हिरासत मे लेकर गहनता से पूछताछ की गयी। दौराने विवेचना मजरूब विकास पुत्र लालाराम निवासी ग्राम बहादुरपुर करोड थाना बिथरी चैनपुर बरेली इसी घटना मे घायल होना प्रकाश मे आया जो जिला अस्पताल बरेली मे भर्ती है। मजरूब विकास के द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि दिनांक 15.10.2025 को मै अपने चाचा प्रमोद पुत्र नरेश तथा रसुईया के बब्लू तथा अभिषेक पुत्र रामकिशन निवासी रजऊ परसपुर थाना बिथरी चैनपुर बरेली के साथ मेला मे घूमने गये थे। शराब पीने के लिए मै अपने इन दोस्तो के साथ समय करीब 20.15 बजे पर भिन्डोलिया शराब की भट्टी पर गया था जहाँ पर मेरा कुछ लडको से उनका शराब का गिलास गिर जाने के कारण झगडा व मारपीट हो गयी थी। फिर बीच बचाव होने पर हम चारो दोस्त रजऊ अड्डे पर आ गये थे। इसी बात की रंजिश मानकर उन लोगो ने रजऊ परसपुर मेले के पास हाइवे पर मेरे तथा मेरे दोस्त अभिषेक पर चाकू से कई वार कर दिये जिसमे मै गम्भीर रूप से घायल हो गया था जबकि अभिषेक की जिला अस्पताल बरेली मे इलाज के दौरान मौत हो गयी थी। बाद मे जानकारी करने पर पता चला कि मेरी भिन्डोलिया शराब भट्टी पर दीपक बाबू पुत्र ईश्वरी प्रसाद व गोपी पुत्र ईश्वरी प्रसाद व हुकुम सिंह पुत्र लालसिंह निवासी गण ग्राम नवदिया देहजब्ती थाना बिथरी चैनपुर बरेली से मारपीट हुई थी उसके बाद इन लोगो ने राजन पुत्र ईश्वरी प्रसाद व रोनक पुत्र शेर सिंह समस्त निवासी गण ग्राम नवदिया देहजब्ती थाना बिथरी चैनपुर बरेली को बुलाकर हमारे साथ मारपीट की और गोपी ने जान से मारने की नियत से मेरे और अभिषेक के ऊपर चाकू से कई वार किये थे। इस जानकारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्त गण 1.दीपक बाबू पुत्र ईश्वरी प्रसाद 2.गोपी पुत्र ईश्वरी प्रसाद 3.राजन पुत्र ईश्वरी प्रसाद 4.हुकुम सिंह पुत्र लालसिंह 5.रोनक पुत्र शेर सिंह समस्त निवासी गण ग्राम नवदिया देहजब्ती थाना बिथरी चैनपुर बरेली के नाम प्रकाश मे आया। आज दिनांक 18.10.2025 को अभियुक्तगण 1.दीपक बाबू पुत्र ईश्वरी प्रसाद 2.हुकुम सिंह पुत्र लालसिंह 3.रोनक पुत्र शेर सिंह समस्त निवासी गण ग्राम

नवदिया देहजब्ती थाना बिथरी चैनपुर बरेली को रंगरेज ढाबा के सामने हाईवे पर समय करीब 18.00 बजे गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त गोपी पुत्र ईश्वरी प्रसाद को आला कत्ल एक नाजायज चाकू के साथ समय करीब 17.30 बजे पदारथपुर जाने वाले कच्चे रास्ते पर करीब 100 मीटर अंदर की ओर पदारथपुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया । फरार अभियुक्त राजन की तलाश जारी है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. गोपी पुत्र ईश्वरी प्रसाद निवासी ग्राम नवदिया देहजब्ती थाना बिथरी चैनपुर बरेली
2. दीपक बाबू पुत्र ईश्वरी प्रसाद निवासी ग्राम नवदिया देहजब्ती थाना बिथरी चैनपुर बरेली
3. हुकुम सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम नवदिया देहजब्ती थाना बिथरी चैनपुर बरेली
4. रोनक पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम नवदिया देहजब्ती थाना बिथरी चैनपुर बरेली

घटना के सम्बन्ध मे पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 487/25 धारा 103(1)/3(5)/191(2)/109 बीएनएस व 4/25 ए एक्ट थाना बिथरी चैनपुर बरेली।

पूछताछ एवं अभियुक्त का विवरणः -

अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि साहब मै गोपी पुत्र ईश्वरी प्रसाद व मेरा भाई दीपक बाबू पुत्र ईश्वरी प्रसाद व हुकुम सिंह पुत्र लाल सिंह दिनांक 15.10.2025 को रात्रि मे भिन्डोलिया शराब भट्टी पर शराब पी रहे थे। हमारे सामने ही चार व्यक्ति बैठकर शराब पी रहे थे, जिनसे हमारा शराब का गिलास गिर गया था जिस बात को लेकर हमारा उन चारों लोगो के साथ लडाई झगडा मारपीट हो गयी थी। उसके बाद बीच- बचाव होने पर यह चारों लोग वहाँ से चले गये थे, इसके बाद मैने अपने भाई राजन पुत्र ईश्वरी प्रसाद व रोनक पुत्र शेर सिंह को बुला लिया था। इन लोगों को ढूंढते हुये हम लोग रजऊ अड्डे पर पहुंचे वहाँ पर यह लोग हमे मिले जिनसे बदला लेने के लिए हमने उनके साथ मारपीट की और दो व्यक्तियों पर चाकू से ताबड़तोड वार कर दिया बाद में हमें पता चला कि जिन दो व्यक्तियों पर हमने चाकू से वार किया था। उनका नाम विकास व अभिषेक था जिसमे अभिषेक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी है । इस बात की जानकारी होने पर कि हम लोगों के नाम पुलिस को पता चल गये है। चाकू जिससे मैने वार किया था छिपाने के लिए जा रहा था तभी पुलिस ने पकड लिया ।

बरामदगी का विवरणः-

एक नाजायज चाकू (अभियुक्त गोपी से)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रप्रकाश शुक्ल थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली ।
2. उ0नि0 श्री अंकुर कुमार रथाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली ।
3. उ0नि0 श्री पवन कुमार शर्मा थाना बिथरी चैनपुर बरेली।
4. उ0नि0 श्री मनवीर कुमार थाना बिथरी चैनपुर बरेली।
5. हे0का0 86 जाने आलम पासा थाना बिथरीचैनपुर बरेली।
6. का0 3871 विजिल मलिक थाना बिथरी चैनपुर बरेली।
7. का0 417 सचिन मलिक थाना बिथरी चैनपुर बरेली।
8. का0 3435 मुकुल चौधरी थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली ।